तारः पर्यावरण
GRAM PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional office

फोन एवं फैक्स:05278–245411
Tele &Fax 05278–245411

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD AYODHYA

सन्दर्भ सं0: 235/MOC/2020
Ref. No

दिनांक: 16-5-2020
Dated

सेवा मे,

अपर जिलाधिकारी महोदय
जनपद गोण्डा।

विषय–मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0(रिटेल आउटलेट),ग्राम, मुन्डेरवा कला, परगना व तहसील गोण्डा, जनपद गोण्डा की गाटा संख्या–58 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आख्या के संबंध मे।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–17/जे0ए0(अना.प्र.पत्र)/20 दिनांक 11.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 (रिटेल आउटलेट), ग्राम, मुन्डेरवा कला, परगना व तहसील गोण्डा, जनपद गोण्डा की गाटा संख्या–58 पर प्रस्तावित रिटेल पेट्रोल पम्प क्षमता 1×16KL MS एवं 1×35 KL HSD पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध मे इस कार्यालय से अनापत्ति आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देषित किया गया है। उक्त के सन्दर्भ मे अवगत कराना है कि वर्तमान मे रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प की स्थापना संबंधी बोर्ड द्वारा कोई मार्गदर्शिका (गाइडलाईन) निर्धारित नही है। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प द्वारा प्रेषित अभिलेखों, ले–आउट प्लान, शपथ पत्र आदि के परीक्षणोंपरान्त प्रस्तावित स्थल पर स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखत शर्तो को आरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है–

1–प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये कि आस पास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पडे।
2–पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू–भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
3–पेट्रोलियम पदार्थ अत्याधिक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण जान–माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुघर्टना की स्थिति मे बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आस पास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये।
4–पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 मे वर्णित प्रविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
5–घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिस्राव के शुद्विकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये।
6–पेट्रोल पम्प की स्थापना द्वारा किसी भी दशा मे औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।
7–पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
8–पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्ड्स वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग एण्ड ट्रांस बाउन्ड्री मूवमेन्ट्स), नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजाड्सके केमिकल रूल्स 1989, पब्लिक लाईबिलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट 1991 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 मे वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

15/6/21

Sanjay Kumar
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

Scanned with CamScanner

9–पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 1×16KL MS एवं 1×35 KL HSD के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।

10–प्रस्तावित स्थ्ल पर स्टार्म वाटर के निवारण हेतु पृथक स्टार्म बाटर ड्रेन बनायी जाये।

11–पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर बिन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये।

12–डी0जी0 सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य स्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये।

13–पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक मे परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को 03 माह के भीतर प्रेषित किया जाये।

14–पेट्रोल पम्प द्वारा सभी संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक ऑन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर 06 माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

15–प्रस्तावित पंट्रोल पम्प परिसर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये।

16–पेट्रोल पम्प वाहनो की पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि राजमार्ग का सामाने यातायात बाधित न हो।

भवदीय,

(स्वामी नाथ राम)
क्षेत्रीय अधिकारी

15/8/21

Sanjay Kumar
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

Scanned with CamScanner